

क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 10651/

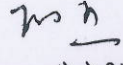
दिनांक:-

कार्यालय आदेश

श्री विवेक गौड कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश(अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 19.12.2018 से 03.01.2019 तक

उक्त कुल 16 दिवस का असाधारण अवकाश(अवैतनिक) का इन्द्राज श्री विवेक गौड की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- प.4(ई)(वी)अलेसे।।। लिंक नं. 10651/2875

दिनांक:- 21-02-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त निदेशक कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विवेक गौड कनिष्ठ लेखाकार लिंक नं.-10651 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-।।।)